न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुकत, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 360 / 2025

केवलराम पुत्र बीरमाराम मेघवाल व अन्य
बनाम
राज0 सरकार जरिये तहसीलदार चामू

दिनांक 27.03.2026

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी बालेसर, हाल जिला जोधपुर द्वारा अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 आरएलआर एक्ट के तहत तहसीलदार चामू के प्रस्ताव दिनांक 24.01.2024 के कम में दर्ज मुकदमा नम्बर 16 / 2024 में पारित आदेश दिनांक 10.06.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय श0प0 प्रस्तुत किया गया, जो न्यायहित में स्वीकार कर प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

वकील अपीलांट श्री भीमराज मुडिया एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश द्वारा तहसील चामू स्थित ग्राम पुनावतनगर एवं श्रीकरणसिंह नगर के उल्लेखित खसरा नम्बरान में से उल्लेखित रकबा भूमि की किस्म राजस्व रेकर्ड में गै0मु0 रास्ता परिवर्तित करने एवं नक्शा (लट्‌ठा) ट्रेस में दुरूस्ती करने का आदेश पारित किया गया है। जबकि अपीलांट्स की कृषि भूमि खसरा नम्बर 226, 233, 236 व 212 में कोई रास्ता मौके पर चालू नही है और न ही किसी को रास्ते की आवश्यकता है अथवा मांग की है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट्स को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नही दिया गया। अपीलाधीन आदेश से अपीलांट के ख0नं0 226 तीन भागों में तथा ख0नं0 233 दो भागों में विभक्त हो गया है। उक्त आदेश एकतरफा रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया है। मौके पर विधिवत जांच नही की गई एवं संबंधित खातेदारो को नही बुलाया गया और न ही उनकी सहमति ली गई। अपीलाधीन आदेश राज्य सरकार के परिपत्रों की मंशा के विरूद्ध पारित किया गया। रास्ते के लिए राज0 काश्तकारी अधिनियम में विशेष प्रावधान है। अतः

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित एवं विधिविरूद्ध होने से **अपीलांट के ख0नं0 226,** जो कि तीन भागों में विभक्त हो गया है, की हद तक अपास्त करने का विशेष आग्रह किया गया।

जवाब में राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया गया कि रास्ते का प्रस्ताव फसल खरीफ संवत् 2080 दौराने गश्त गिरदावरी ग्राम पुनावतनगर एवं करणसिंहनगर में चालू एवं स्थायी सार्वजनिक रास्तों का राजस्व रेकर्ड में अंकन हेतु तहसीलदार चामू द्वारा प्रस्तावित किया गया। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सार्वजनिक सूचना एवं अप्रार्थीगण को नोटिस/सम्मन जारी करने के उपरांत कोई आपत्ति प्राप्त नही होने पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः प्रकट तथ्यों के आधार पर प्रकरण में विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया तथा प्रकरण में तहसीलदार चामू के प्रस्ताव एवं नजरी नक्शें का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अनुसार अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व सार्वजनिक सूचना एवं खातेदारान के नोटिस/सम्मन जारी किए गये तथा कोई आपत्ति प्राप्त नही होने पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अतः वकील अपीलांट का यह कथन मान्य नही है कि उसे विचारण न्यायालय द्वारा नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नही दिया गया। जहां तक अपीलांट का ख0नं0 226 तीन भागों में विभक्त हो जाने का प्रश्न है, इस संदर्भ में वकील अपीलांट द्वारा उक्त खसरान के कणा–माठ पर रास्ता काटने की मौखिक सहमति व्यक्त की है। इस स्थिति में अपीलाधीन आदेश अपीलांट के ख0नं0 226 की हद तक निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत समझा गया।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर, हाल जिला जोधपुर द्वारा मुकदमा संख्या 16/2024 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.06.2024 अपीलांट के ख0नं0 226, (ग्राम श्रीकरणसिंह नगर) की हद तक निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान कर 2 माह के भीतर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करावे, तब तक मौके पर यदि उक्त खसरान में रास्ता चालू है तो उसे बंद नही किया जावे। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 15.04.2026 को उपस्थित होने बाबत सूचित रहे।

निर्णय आज दिनांक 27.3.26 को खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जावे।

27/3/26.

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर